न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 73/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोपाल पुत्र थानाराम जाति नायक निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी, नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:19.06.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 158/2017 सरकार बनाम गोपाल में निर्णय दिनांक 29.12.17 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 532 रकबा 2400 वर्गफुट गै.मु. अंगौर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.01.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.02.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया। अपीलांट ने अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 158/17 सरकार बनाम गोपाल में निर्णय दिनांक 29.12.17 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व न्याय सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–तहसीलदार ने अपने स्तर पर मौका निरीक्षण नही किया, अपीलांट को जवाब में वर्णित तथ्यों के समर्थन में पूर्ण साक्ष्य, सबूत का पर्याप्त अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, वहां कदीम से बसी हुई आबादी के बीच में स्थित अपीलांट की जायगा को अंगौर भूमि में होना मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(III)–उक्त जमीन कभी भी अंगौर जमीन नही रही है। आबादी भूमि रही है तथा आस पास निवास करने वाले लोगो के पटटे भी समय समय पर बाद जांच जारी हो रखे है। अपीलांट के कब्जासुद स्वामित्व की जायगा पहले मदनलाल पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बडली रोड, नागौर तहसील व जिला नागौर की पुरानी कब्जासुद स्वामित्व की थी, जिस भूखण्ड पर मदनलाल का पुरानी कांटों की बाड सहित कब्जा उपयोग उपभोग था, इस भूखण्ड को मदनलाल व उसके परिवार वाले गाये, भैंसे बांधने के काम मे लेता था, जिसको उसने अपने परिवार की जायज जरूरत सारू 25000 रू. में मगाराम पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मालगांव तहसील नागौर को बेचान कर उसकी लिखापढी बाकायदा स्टांप पर करके दिनांक 22.07.94 को उक्त मगाराम का कब्जा करवा दिया व लिखापढी में साखे डलवा कर नोटेरी से तस्दीक करवाया तब से यानि दिनांक 22.07.94 से मगाराम का बहैसियत मालिक कब्जा उपयोग उपभोग को अपीलांट को जरिये एग्रीमेंट टू सेल बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया व दिनांक 08.02.16 से अपीलांट का बहैसियत मालिक निरंतर कब्जा उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के रहता चला आया है। उक्त जायगा सन 1994 से पूर्व से शुरू में मदनलाल के कब्जा उपयोग उपभोग व बाद में मगाराम के कब्जा उपयोग की व वर्तमान में अपीलांट के कब्जा उपयोग उपभोग की रहती चली आयी है। जिसके आस पास चारो तरफ रहवासी मकानात बने हुए है। चारों तरफ आबादी बसी हुई है तथा किसी भी प्रकार से सरकारी / अंगौर भूमि के रूप में काम में नही आ रही है। आस पास के निवासियों को कोई नोटिस नही दिया गया है तथा न ही उनके विरूद्व रिपोर्ट की है। पटवारी हल्का ने केवल अपीलांट के विरूद्व झूठी रिपोर्ट पेश की है। इसलिये मौके की यदि जांच व निरीक्षण तहसीलदार अपने स्तर पर करते तो संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो

अपर कलक्टर, नागौर

जाती। अपीलांट से नाराजगी रखने वालों लोगो ने पटवारी हल्का से मिलकर अपीलांट को नाजायज तंग परेशान कर उसके विरूद्व नया अतिक्रमण बतलाकर सरासर गलत रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत पेश करवा दिया व संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत करवाने के बावजूद तहसीलदार ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

{2}(IV)–उक्त स्थान आबादी की भूमि होने से आबादी बसी हुई है, अंगौर भूमि का प्रश्न ही पैदा नही होता है। चारों तरफ अन्य लोगो के मकानात बने हुए है। उक्त भूमि कभी भी अंगौर भूमि नही रही है, पीढियों से आवासीय प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, अगर भौतिक निरीक्षण किया जावे तो संपूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है, बावजूद इसके इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो गलत है। अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मान कर निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारदर्शिता को ध्यान में रख कर पारित किया हुआ नही है। अगर अपीलांट की जायगा अंगौर भूमि मे होती तो चारो तरफ बने मकान भी अंगौर भूमि में होते और उन सभी लोगो के विरूद्व भी कार्यवाही होती, लेकिन उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही कर अपीलांट के विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है। उक्त जायगा के अलावा अन्य कोई जायगा उक्त प्रयोजनार्थ उसके पास नही है। अपीलांट को निर्णय जैर अपील की पालना में बेदखल कर दिया गया तो उसके साथ गौर अन्याय होगा। उसे अपूर्णीय क्षति होगी। जबकि सरकार द्वारा समय समय पर पुराने कब्जे को नियमन करने हेतु परिपत्र जारी कर रखे है। जिनकी रोशनी में अपीलांट भी नियमन का पात्र है। जिससे न्याय हित में निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नागौर में स्थित गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 532 रकबा 2400 वर्गफुट गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर